राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2004/4034/हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

........**अपीलान्ट**

बनाम

1- नन्दराम
2- नोरंगराम
3- रामकिशन
4- काशीराम
5- रणवीर सिंह
समस्त पुत्रान अमीचन्द, जाति जाट निवासी ग्राम भोजासर तहसील तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

खण्ड–पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :-

श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 11-12-2019

निर्णय

1- यह अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-6-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट / वादीगण ने एक राजस्व वाद अपीलान्ट / प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भादरा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि चक नम्बर-6 बारानी के मु. नम्बर-30 के किला नम्बर-1 से 10 की 10 बीघा, मु. नम्बर-32 के किला नम्बर-14 से 17 की 4 बीघा, किला नम्बर-24, 25 की 2 बीघा कुल 16 बीघा यानी 4.048 हैक्टेयर तथाा चक नम्बर-2 एम.एस.आर. के मु. नं. 63 के किला नम्बर-1, 10, 11 व 20 की 4 बीघा पर लगातार उसके पिता के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है, वादीगण ने कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किन्तु खातेदारी में दर्ज नहीं की। इस पर वादी ने राज्य सरकार को धारा-80 जा.दी. का नोटिस देकर खातेदारी घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया एवं वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। विद्वाान उपखण्ड अधिकारी ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर वाद के नोटिस प्रतिवादी/अपीलान्ट को जारी किये। प्रतिवादी/अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार किया। उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भादरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 4-2-2003 द्वारा वादी का दावा साबित नहीं होने के बावजूद भी डिक्री कर दिया जिसे विरूद्ध अपीलान्ट ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14-6-2008 द्वारा निरस्त कर दी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानागढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14-6-2008 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4- विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि अपीलाधीन

निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानागढ़ ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज थी और उसे खातेदारी अधिकार आबंटन नियमों के तहत ही प्रदान किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-88, 89 के तहत उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अप्रार्थीगण ने वाद पत्र में यह नहीं बताया है कि उन्हें गैर खातेदारी में किस कारण दर्ज किया गया। साठ वर्ष पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था लेकिन संवत 2012 से लगातार कब्जे के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विचारण न्यायालय ने बिना विधि मान्य कब्जे के दावा डिक्री कर गंभीर त्रुटि की है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानागढ़ को चाहिये था कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विधि विरूद्ध डिक्री को निरस्त करते, लेकिन उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, भादरा के निर्णय को यथावत रखकर गंभीर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में उन्हें गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है जबकि वे वर्षो से विवादित आराजी पर कब्जे काश्त में है। सक्षम अधिकारियों के समक्ष खातेदारी अंकित करने के लिये कई बार निवेदन किया था लेकिन उन्होंने अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज नहीं किया इसलिये धारा-80 सीपीसी का नोटिस राज्य सरकार को देकर सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने सही मानकर दावा डिक्री कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने भी सरकार की अपील खारिज कर विधिसम्मत निर्णय पारित कियाा है लेकिन हस्तगत अपील में कोई

ठोस व सारगर्भित तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील काबिल निरस्तनीय है।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7- दावा व जवाबदावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने निम्न तनकीयात कायम की थी :-

1- आया वाद भूमि वाके चक नम्बर-6 बारानी मु.नं. 30 के किला नम्बर-1 से 10 की 10 बीघा, मु.नं. 32 के किला नम्बर-14 से 17 की 4 बीघा, किला नम्बर-24-25 की 2 बीघा जिसके 4.048 हैक्टेयर तथा चक नम्बर-2 एम.एस.आर. के. मु.नं. 63 के किला नम्बर 1-10-11-20 की 4 बीघा यानी 1.012 हैक्टेयर कुल दोनों चकों की 20 बीघा वादीगण पांचों की ब.हि.ब. प्रत्येक 1/5 भाग की खातेदारी कदीमी भूमि है। ....वादीगण

2- आया वादीगण उक्त 20 बीघा खातेदारी को पीढ़ियों से अधिकार पूर्ण लगातार काबिज काश्त है और उनका कब्जा मुखालफाना हो चुका है। अतः वे वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। ....वादीगण

3- अनुतोष।

8- वादीगण का यह कथन कि विवादित भूमि 20 बीघा पर उनका पीढ़ियों से लगातार कब्जा रहा है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तनकी संख्या-1 व 2 परस्पर सम्बन्धित मानकर विचारण न्यायालय ने एक साथ विश्लेषण कर दोनों तनकियों का एक साथ निर्णय पारित किया है। दोनों तनकियों को वादी/अप्रार्थीगणा के पक्ष में साबित मानते हुये विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भादरा ने दावा डिक्री कर दिया।

9- पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रदर्श-1 जमाबन्दी संवत 2057 के अनुसार मु. नम्बर-30 के किला नम्बर-1 से 10, मु.नं. 32 के किला नम्बर-14 से 17 एवं 24 व 25 किता 16 रकबा 4.048 हैक्टेयर पर नन्दराम, नौरंगराम, रामकिशन, काशीराम, रणवीरसिंह पि. अमीचन्द बहिस्सा बराबर कौम जाट सा. मोजासर गैर खातेदार अंकित है। प्रदर्श-2 जमाबन्दी संवत 2057 ग्राम 2 एम. एस.आर. के मु.नं. 63 के किला नम्बर-1, 10, 11, 20 किता 4 रकबा 1.012 पर नन्दराम, नौरंगराम, रामकिशन, काशीराम, रणवीरसिंह पि. अमीचन्द कौम जाट सा. चक मोजासर गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-3 जमाबन्दी संवत 2045-48 ग्राम 2 एम.एस.आर. के मु.नं. 63 में किला नम्बर-1, 10, 11 व 20 किता 4 रकबा 4 बीघा पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रदर्श-4 जमाबन्दी संवत 2049 वाके ग्राम 6 बारानी के मु.नं. 30 के किला नम्बर-1 से 10, मु.नं. 32 के किला नम्बर-14 से 17, 24 व 25 किता 16 रकबा 16 बीघा पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रदर्श-5 नोटिस दफा-80 सीपीसी व प्रदर्श-7 व 8 रजिस्टर्ड ए.डी. की प्रति भी पत्रावली में संलग्न है। प्रदर्श-10 पत्र क्रमांक 1852 दिनांक 20-8-2002 जवाब 80 सीपीसी जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ है जिसमें कहा गया है कि **"खातेदारी हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करें।"** प्रदर्श-11 प्रमाणित प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 856 तहसीलदार, भादरा है जिसमें अंकित किया है **"वास्ते कराने स्थाई अलौट। मि. नं. 1148"** अंकित है। प्रति स्पष्ट नहीं होने के कारण पठनीय नहीं है।

10- इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के गैर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। अप्रार्थीगण ने यह नहीं बताया है कि उनकी गैर खातेदारी का अंकन किस तरह व कब हुआ है। संवत 2045 से पूर्व का कोई रिकार्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रदर्श-11 तहसीलदार, भादरा के पत्र संख्या-856 जो

पटवारी हल्का को लिखा गया है, के अनुसार प्रकरण अलॉटमेन्ट का है। गैर खातेदारी का अंकन भी आबंटन के पश्चात नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि के आबंटी थे और आबंटन के पश्चात उनके पिता अमीचन्द को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया था। अमीचन्द की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी गैर खातेदारी में जरिये विरासतन इन्तकाल दर्ज की गई। इस प्रकार यह भली-भांति स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार केवल और केवल संबंधित आबंटन नियमों के अन्तर्गत ही प्रदान किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-88 व 89 के तहत अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। यही बात 80 सीपीसी नोटिस के जवाब में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने भी अंकित की थी।

11- अप्रार्थीगण का यह कथन कि वे एवं उनके पूर्वज विवादित आराजी पर काबिज काश्त थे और हैं। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

12- वादीगण ने उक्त दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-88 के तहत प्रस्तुत किया है। धारा-88 के तहत केवल उन्हीं प्रकरणों में खातेदारी प्रदान की जा सकती है जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की तिथि 15-10-1955 से पूर्व से लगातार वैध कब्जा हो। इस प्रकरण में वादीगण का दिनांक 15-10-1955 से पूर्व से विवादित भूमि पर वैध कब्जा नहीं है। केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते

हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरआरटी–2017(2) पेज–1139 में निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

> **There that no provision in the Rajasthan Tenancy Act for conferment of Khatedari rights by adverse possession and therefore, no person can claim right by way of adverse possession againsts the State Government.**

13– इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की स्थिति के संबंध में 5 सदस्यीय पूर्ण–पीठ का गठन किया गया था जिसने जगदीश बनाम सीताराम प्रकरण में दिनांक 3–6–2011 को जो निर्णय प्रदान किया है वह आरबीजे–2011 पेज–387 पर वर्णित है। इस निर्णय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बारे में विस्तृत विवेचन किया है और निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

> "77- In View of what has been discussed above and the legal precedents, this Bench answers the questions raised by the referring D.Bl in the following manner :-
>
> (1) Whether the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page I has laid down a good law by providing for comferment / acquisition of khatedari right on a trespasser on the basis of 'adverse possession' vis-a-vis the provision of the Rajasthan Tenancy Act of 1955 as a measure of land reform ?
>
> Answer :- In the view of this bench the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page 1 has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have nay provision to confer tenancy rights to the adverse possessor. This bench also infers that providing tenancy rights to the adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation.
>
> (2) Whether extinguishment of tenancy right under4 Section 63 (1) (iv) of the Act of 1955 creates

khatedari right in trespasser on the basis of adverse possession?

Answer: In the opinion of this bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession?

(3) Whether the Board of Revenue has legislative power to lay down a new law for grant of khatedari right in addition to and over and above what is provided under the Act, as has been done by the Larger Bench of this court in 1991 RRD page 1?

Answer: In the opinion of this bench the Board of Revenue does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights.

(4) Whether the judgment of the Larger Bench as reported in RRD page 1 should be revoked/annulled in light of the provision of the Act of 1955 and the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as reported in RLW 2008 (1) RJ page 1101.

Answer: In the opinion of this bench the judgment of Larger Bench in Bagga Vs Surendra Singh as reported in 1991 RRD page 1 being not a good law, deserves to be set aside."

14- राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने प्रकरण संख्या- अपील डिक्री/टी.ए./2018/449/जयपुर उनवान जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम रामबाबू शर्मा व अन्य में भी यही अभिमत प्रकट किया गया था।

15- अतः राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल की पूर्ण-पीठ के निर्णयों से यह भलीं-भांति सिद्ध होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। इसी आधार पर यह दावा चलने योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तनकी को प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णीत करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है।

16- इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर धारा-88, 89 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। जिन नियमों के तहत भूमि का आबंटन उन्हें किया गया है केवल उन्हीं नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 4-2-2003 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिये था कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री विधि विरूद्ध थी, लेकिन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने ऐसा नहीं कर गंभीर त्रुटि की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों व विधि के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

17- फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 14-6-2004 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भादरा का निर्णय दिनांक 4-2-2003 निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष